न्यायालय – राजस्व – मण्डल – ग्वालियर – म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक सन् 2008–09

01. शेख इब्राहिम तनय श्री शेख झल्लू
02. मुहम्मद सलीम उर्फ राजू तनय श्री शेख इब्राहिम
03. नईम उर्फ गुड्डे तनय श्री शेख इब्राहिम
04. मुहम्मद इकबाल उर्फ भुल्ले तनय श्री शेख इब्राहिम
समस्त निवासीगण राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....आवेदक/निगरानीकर्तागणे

बनाम

शेख नूरमुहम्मद तनय श्री शेखझल्लू निवासी राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुरम म0प्र0 ....अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व न्यायालय कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 202/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2008 से परिवेदित होकर।

अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है:–

01. यह कि ग्राम द्विवियापुरवा तहसील राजनगर की भूमि खसरा नं0 194,195, रकवा क्रमशः 0.688, 10.561हे0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रेता मल्ला बल्द बक्सा कुर्मी साकिम खजवा से निगरानीकर्ता क्रं0 01 शेख इब्राहिम तनय श्री शेख झल्लू द्वारा दिनांक 30.06.1969 को क्रय की गई थी तथा शेख इब्राहिम के पिता के स्थान पर नूर मुहम्मद शीशगार का नाम लेख भूलबस होने के कारण संशोधन भी उपपंजीयक द्वारा दिनांक 11.07.1969 को विक्रेता व क्रेता की मौजूदगी में किया गया था तत्पश्चात् नामांतरण मान्नीय नायब तहसीलदार राजनगर द्वारा दिनांक 30.12.1969 को विक्रेता मल्ला कुर्मी के वजह क्रेता शेख इब्राहिम के नाम किया गया था तब से निगरानीकर्ता क्रमांक 01 आवेदित भूमि का एक मात्र मालिक व आधिपत्यधारी है।

02. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा जबरन मौके पर कब्जा किये जाने जैसी चैष्ठा की गई जिसके संबंध में निगरानीकर्ता क्रं0 01 द्वारा उसके विरूद्व पुलिस थाना खजुराहो में रिपोर्ट की जिस पर जा0फौ0 का प्रकरण पंजीबद्व किया गया जो प्रकरण उसके विरूद्व न्यायालय में विचाराधीन है उसी दौरान निगरानीकर्ता क्रं0 01 द्वारा अनावेदक के विरूद्व सिविल बाद प्रस्तुत किया जिसे प्रकरण क्रं0 5ए/2002 दर्ज किया गया तथा कुछ दिन पश्चात् वादी निगरानीकर्ता क्रं0 01 द्वारा स्वयं अपने दावा को स्वेच्छा से वापिस चाहा गया परन्तु न्यायालय द्वारा उसका आवेदन निरस्त करने के कारण [illegible]

क्रमशः 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1316–दो/2008 जिला–छतरपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–17	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री बी0एन0त्यागी उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/अ–6/2006–07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–09–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। आवेदकगण के अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि निगरानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत है साथ ही श्रवण किये जाने योग्य है एवं समय सीमा के अंदर है, जिसके प्रबल होने की पूण्र संभावना है। अनावेदकगण के नाम न ही तो आवेदित भूमि कभी राजस्व अभिलेख में रही है और न ही उसके द्वारा आवेदित भूमि क्रय की गई है और नही सिविल	

न्यायालय द्वारा उसके नाम दर्ज होने जैसा आदेश दिया है, फिर भी बिना किसी आधारों पर आज से लगभग 10 वर्षों से आवेदकगणों को परेशान अनावेदकगण करते चले आ रहे है। आयुक्त सागर द्वारा आदेश दिनांक 23.09.2008 की कंडिका दो में प्रकरण क्रमांक 67/अ–6/2004–05 आदेश दिनांक 28.09.05 का उल्लेख किया तथा प्रकरण का रेसजूडीकेटा के सिद्धांतों में पाया गया है ऐसा लेख किया है। जबकि प्रश्नगत प्रकरण पूरी तरह उनकी लेखनी से पृथक है क्योंकि न ही तो आवेदक क्र0 1 द्वारा प्रस्तुत वाद का उसके विरूद्ध निराकरण हुआ है और नहीं अंतिम निर्णय किसी भी न्यायालय द्वारा विरूद्ध में दिया है मात्र सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत 39(1)(2) जा0दि के आवेदन को निरस्त किया गया था जिसकी अपील उसके द्वारा की गई थी, परन्तु उसने स्वयं अपनी स्वेच्छा से दीवानी वापिस दिनांक 28.01.05 को ले ली गई थी। ऐसी स्थिति में पारित आदेश में उसका गलत निष्कर्ष निकालते हुये लेख किया है जो वास्तविकता से पृथक है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आयुक्त सागर द्वारा यह सब अपने आदेश में लिखने के पश्चात कंडिका सात में और भी स्थिति विसम तरीके से उत्पन्न की है तथ लेख किया है कि अनावेदकगण के कब्जे/आधिपत्य की भूमि का बटवारा प्रतिपक्ष के आवेदन अनुसार किया जा सके। तहसील न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के विपरीत आदेश करने की अधिकारिता नहीं है। जबकि किसी भी प्रकार का कोई निर्णय अनावेदकगण के पक्ष में न ही तो व्यवहार

न्यायालय द्वारा कभी किया गया है और न ही ऐसा आदेश दिया है कि अनावेदकगण के नाम से 1/2 भूमि दर्ज कर दी जावे। फिर भी आयुक्त सागर द्वारा अपने आदेश में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि न ही तो प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर ध्यान दिया है और न ही तथ्यों तक पहुचने हेतु प्रयत्न किया गया है, क्योंकि संबंधित प्रकरण कब्जे का नहीं बल्कि रजिस्टर्ड बटवारे के मुताबिक खातेदार शेख इब्राहिम की भूमि उसकी इच्छा अनुसार निगरानीकता क्र0 लगायत 4 के नाम दर्ज किये जाने का था, जिसके संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है तथा सही निष्कर्ष न निकालते हुये अपर कलेक्टर व तहसीलदार राजनगर के आदेशों को निरस्त किया है जो पूरी तरह कानून की मंशा व परिधि के विपरीत है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत कर बताया कि न्यायालय अपर कलेक्टर एवं तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेशों में यह माना है कि सिविल न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अनावेदकगण विवादित भूमि का अधिपत्यधारी है, किन्तु फिर भी अनावेदक की आपत्ति एवं निगरानी निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने विधि संबंधी त्रुटि की है। उभयपक्ष मुस्लिम विधि से शासित थे ओर मुस्लिम विधि के प्रावधानुसार किसी भी मुसलमान की सम्पत्ति में उसके पुत्र अथवा उसकी संतानों को मूल पुरूष के जीवित रहते किसी प्रकार का

हित उत्पन्न नहीं होता और किसी संपत्ति का विभाजन तभी संभव है जब उस संपत्ति के विभाजन में हित प्राप्त करने वाले का पूर्व से हित हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी की है।

6/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदकगण ने ग्राम दिवियापुरवा स्थित भूमि खसरा नं0 194, 195 किता 2 कुल रकबा 11.249 है0 स्वयं के नाम होना दर्शाते हुये रजिस्टर्ड बटवारा दिनांक 08.09.2000 के अनुसार आवेदक क्र0 1 व उसके पुत्रों के नाम पृथक–पृथक दर्ज किये जाने का विचारण न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया। जिस पर अनावेदकगण की ओर से मुख्यतः यह आपित्त की गई कि माननीय व्यवहार न्यायालय के निर्णय अनुसार उसका वाद भूमि में 1/2 हिस्सा व कब्जा है। इस कारण विचारण न्यायालय को उक्त आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिये था।

7/ इस संबंध में माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 छतरपुर के व्यवहार वाद क्रमांक 54/अ/2002 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2004 का परिशीलन किया गया । इस प्रकरण में माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को वाद भूमि 11.28 है0 में से आधे भा पर कब्जा प्रमाणित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक शेख इब्राहीम का आवेदन आदेश 30 नियम 1 व 2 अन्तर्गत निरस्त किया गया । इस आदेश की छायाप्रति तहसील न्यायालय के प्रकरण के पृष्ठ 40 लगायत 44 पर संलग्न है। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय पंचम अपर जिला

न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट, छतरपुर के समद्वा विविध दीवानी अपील क्रमांक 20/2004 प्रस्तुत की थी। उक्त अपील निर्णय दिनांक 13.01.2005 द्वारा खारिज की गई। तदपुरान्त आवेदक द्वारा माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, छतरपुर के समक्ष व्यवहार वाद स्वेच्छा पूर्वक वापिस लिया गया। माननीय व्यवहार न्यायालयों के उपरोक्त आदेशों के दृष्टिगत राजस्व न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं है कि अनावेदकगण के कब्जे/अधिपत्य की भूमि का बटवारा आवेदकगण के आवेदन अनुसार किया जा सके। तहसील न्यायालय एवं अप कलेक्टर ने माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर आदेश पारित किये है। इसी कारणवश आयुक्त सागर संभाग, सागर ने अपने विस्तृत आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी–202/अ/6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2008 द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2006 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2007 निरस्त किया है। आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.08 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

8/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–09–2008 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य